45335—C S.—H.G.P., Chd.

क्रमांक 22/22/2004—3जी.एस.III

प्रेषक

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष ।
2. रोहतक, गुड़गांव, हिसार एंव अम्बाला मण्डलों के आयुक्त
3. रजिस्ट्रार, पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
4. हरियाणा के सभी उपायुक्त ।
5. रजिस्ट्रार महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, करूक्षेत्र, विश्वविद्यालय, करूक्षेत्र, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार तथा चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय,सिरसा, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 22.1.2009

विषयः **अन्य पिछड़े वर्गो (ओ.बी.सी) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों / वर्गो (सम्पन्न वर्गो) को बाहर रखने के लिये आय के मानदण्डों में संशोधन ।**

.....

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 22/22/2004—3जी.एस.III दिनांक 30.7.2004 की ओर दिलाऊँ तथा भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मन्त्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से प्राप्त पत्र संख्या 36033/3/2004—स्थापना (आरक्षण) दिनांक 14.10.2008 की प्रति (सलंग्न) पालना हेतु भेजूं जिस द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो में से सम्पन्न वर्गो का निर्धारण करने के लिये आय की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख रू0 करने का निर्णय लिया गया है ।

2. कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये ।

भवदीय

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 क्रमांक 22/22/2004—3जी.एस.III दिनांक 23.1.2009

इसकी एक—एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, चण्डीगढ़ ।
2. सचिव, हरियाणा कर्मचारी सेवा आयोग, चण्डीगढ़ ।

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इसकी एक–एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वितायुक्तों एंव प्रधान सचिवों तथा सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी वितायुक्त एंव प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशाः कमांक 22/22/2004–3जी.एस.III दिनांक 23.1.2009

इसकी एक–एक प्रति मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/उप–प्रधान सचिव–I/उप प्रधान सचिव–II/मुख्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी – I, II एंव III को तथा मुख्य मंत्री /मंत्री /राज्य मंत्रियों के निजि सचिवों के सूचनार्थ प्रेषित हैं ।

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/उप–प्रधान सचिव–I/उप प्रधान सचिव–II/
मुख्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी– I, II एंव III को तथा मुख्य मंत्री /मंत्री /राज्य मंत्रियों के निजि सचिव ।

अशाः कमांक 22/22/2004–3जी.एस.III दिनांक 23.1.2009
पृ0 कमांक 22/22/2004–3जी.एस.III दिनांक 23.1.2009

इसकी एक प्रति सदस्य सचिव, हरियाणा सार्वजनिक उपकम ब्यूरो को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 कमांक 22/22/2004–3जी.एस.III दिनांक 23.1.2009

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, स्थानीय निकाय हरियाणा (उनसे अनुरोध है कि इन हिदायतों को राज्य के सभी नगरपालिकाओं / निगमों तथा परिषदों को भेज दी जाये) ।
2. निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा को इन हिदायतों को प्रर्याप्त प्रचार हेतु ।

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधीक्षकों/उपाधीक्षकों तथा एफ.सी. कार्यालय को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी अधीक्षक/ उपाधीक्षक, हरियाणा सिविल सचिवालय
तथा एफ.सी. कार्यालय ।

अशाः कमांक 22/22/2004–3जी.एस.III दिनांक 23.1.2009
पृ0 कमांक 22/22/2004–3जी.एस.III दिनांक 23.1.2009

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैः–

1. प्रिंसिपल,
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 39–40 बेज़, काडा भवन,
सैक्टर–4, पंचकुला ।

2. प्रिंसिपल मण्डलीय,
प्रशिक्षण केन्द्र, एस.सी.ओ. न0 11,
सैक्टर–16,
पंचकुला ।

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

No.36033/3/2004-Estt. (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

New Delhi, dated the 14th October, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs).

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8th September,1993 which inter alia provided that sons and daughters of persons having gross annual income of Rs.1 lakh or above for a period of three consecutive years would fall within the creamy layer and would not be entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes. The limit of income for determining the creamy layer status was raised to Rs. 2.5 lakh vide this Department's OM of even number dated 9.3.2004. It has now been decided to raise the income limit from Rs. 2.5 lakh to Rs. 4.5 lakh per annum for determining the creamy layer amongst the OBCs. Accordingly the following entry is hereby substituted for the existing entry against Category VI in the Schedule to the above referred O.M.

Category	Description of Category	To whom the rule of exclusion will apply
VI	Income/Wealth Test	Son(s) and daughter(s) of (a)Persons having gross annual income of Rs. 4.5 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for period of three consecutive years. (b)Persons in Categories I, II, III and V A who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources of wealth which will bring them within the income/wealth criteria mentioned in (a) above. Explanation: Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed.

2. The provisions of this Office Memorandum take effect from the 3rd October, 2008.

3. All the Ministries/Departments are requested to bring the contents of this Office Memorandum to the notice of all concerned.

(K.G Verma)
Director

To

1. All the Ministries/Departments of the Government of India.
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
3. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
4. Department of Public Enterprises, New Delhi.
5. Railway Board.
6. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission.
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
8. Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi.
9. National Commission for SCs and STs, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
10. National Commission for Backward Classes, Trikoot-I, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi.
11. Office of the Comptroller and Auditor General of India, 10 Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi- 110002.
12. Information and Facilitation Centre, DOPT, North Block, New Delhi. (100 copies)
13. Spare copies – 400.

Copies forwarded to :

The Chief Secretaries of all the States/ UTs. for information and necessary action.

संख्या 36033/3/2004–स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली,
दिनांक 14 अक्तूबर, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषयः अन्य पिछड़े वर्गो (ओ.बी.सी) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों / वर्गो (सम्पन्न वर्गो) को बाहर रखने के लिये आय के मानदण्डों में संशोधन ।

.....

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या – 36012/22/93 – स्थापना(अनु.जा.) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान था कि उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियों जिनकी लगातार तीन वर्षो तक की कुल वार्षिक आय एक लाख रू0 अथवा उससे अधिक है सम्पन्न वर्गो में आते हैं और वे अन्य पिछड़े वर्गो को उपलब्ध आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं है । इस विभाग के दिनांक 9.3.2004 के सम संख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने के लिये आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रू0 कर दिया गया था । अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गो में से सम्पन्न वर्गो का निर्धारण करने के लिये आय की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया जाये । तदानुसार उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी 6 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाती है ।

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	वे व्यक्ति जिन पर आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखे जाने का नियम लागू होगा
6	आय/सम्पत्ति का निर्धारण	(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां, जिनकी लगातार तीन वर्षो तक की कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रू0 अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा–निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते हैं । (ख) श्रेणी I, II, III और 5–क में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, परन्तु जिनकी अन्य स्त्रोतो से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लायेगी, के पुत्र और पुत्रियों ।

स्पष्टीकरण

वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जायेगा ।

2. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 3 अक्तूबर, 2008 से लागू होंगे ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय–वस्तु को सभी सम्बनिधत व्यक्तियों की जानकारी में ला दें ।

हस्ता:
(के.जी. वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092185

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य–विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य–विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली
10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट–1 भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 ।
12. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
13. अतिरिक्त प्रतियां–400 ।

प्रतिलिपि:

सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
सूचना एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।